सोमेश्वर सिंह बनाम बाबूलाल

245/2024

04/10/2024 पत्रावली शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर आज की तारीख पेशी में ली गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। T.DR सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष ने वाद में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की, वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केवल शुमार हेतु दर्ज 20 से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Executive Sign [illegible]

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री जारी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

बाबू
4/10/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या: 245/2024
निर्णय दिनांक: 04.10.2024

सोमेश्वर सिंह गालावत पुत्र श्री रामसिंह गालावत, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर सी–123–बी, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रूपनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम गणपतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. भैरू पुत्र मुकुन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम गणपतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। दिनांक 20.09.2024 को अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। बहस उभयपक्षकरान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने पर उभयपक्षकरान की राहगति के आधार पर वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 20.09.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./कुर्रेजात/2024/8244 दिनांक 30.09.2024 संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुनी गई। बहस उभयपक्षकरान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने पर कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होना जाहिर किया है, इस सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 के कोई जायन्दा वारिस नही है, प्रतिवादी संख्या 2 नाऔलाद फौत हुआ है, प्रतिवादी संख्या 2 की विरासत का नामान्तरकरण किसके पक्ष में तस्दीक किया जायेगा, इसका कोई निर्धारण नही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 भूमि वादग्रस्त का अपने हिस्से तक विभाजन करवाना चाहते है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को उनके हक व हिस्से से वंचित नही किया जा सकता है तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मौका स्थिति के अनुसार तैयार की है, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दिये जाने से वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 0.3400 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3400 है0 वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	314	0.3400	बंजड 2		बाबूलाल पुत्र रूपनारायण हिस्सा 3/40, भैरू पुत्र मुकुन्दा हिस्सा 1/20, जाति जाट, सा.देह, सोमेश्वर सिंह मालावत पुत्र श्री रामसिंह मालावत हिस्सा 7/8 जाति राजपूत, निवासी मकान नम्बर सी–123–बी, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर खातेदार

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	314 मिन.	0.0255	बाबूलाल पुत्र रूपनारायण हिस्सा पूर्ण, जाति जाट, सा.देह खातेदार	बंजड 2
	किता–01	0.0255		
2	314 मिन.	0.2975	सोमेश्वर सिंह मालावत पुत्र श्री रामसिंह मालावत हिस्सा पूर्ण, जाति राजपूत, निवासी मकान नम्बर सी–123–बी, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर खातेदार	बंजड 2
	किता–01	0.2975		
3	314 मिन.	0.0170	भैरू पुत्र मुकुन्दा हिस्सा पूर्ण, जाति जाट, सा.देह खातेदार	बंजड 2
	किता–01	0.0170		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर** मुकाम जयपुर व इजलास **हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या : 245/2024

सोमेश्वर सिंह मालावत पुत्र श्री रामसिंह मालावत, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट नम्बर सी–123–बी, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रूपनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम गणपतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. भैरू पुत्र मुकुन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम गणपतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादी मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 0.3400 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3400 है0 वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	314	0.3400	बंजड 2		[illegible] पुत्र रूपनारायण हिस्सा [illegible] 40, [illegible] रू पुत्र मुकुन्दा हिस्सा [illegible] जाट सा.देह, सो[illegible] सिंह मालावत पुत्र श्री रामसिंह मालावत हिस्सा 7/8 जा[illegible] राजपूत, निवासी मकान नम्बर सी–123–बी, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
			प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज	
1	314 मिन.	0.0255	बाबूलाल पुत्र रूपनारायण हिस्सा पूर्ण, जाति जाट, सा.देह खातेदार	बंजड 2
	किता–01	0.0255		
2	314 मिन.	0.2975	सोमेश्वर सिंह मालावत पुत्र श्री रामसिंह मालावत हिस्सा पूर्ण, जाति राजपूत, निवासी मकान नम्बर सी–123–बी, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर खातेदार	बंजड 2
	किता–01	0.2975		
3	314 मिन.	0.0170	भैरू पुत्र मुकुन्दा हिस्सा पूर्ण, जाति जाट, सा.देह खातेदार	बंजड 2
	किता–01	0.0170		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.10.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	0 0

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:27 IST
Reason: SelfAttested

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल रकम का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)